अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो की तामील हुए
08.04.2025	पुष्कर विलेज रिसोर्ट बनाम आनन्द गोयल वगैरह (2025/143) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र वास्ते अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत पेश किया, प्रति अभिभाषक अपीलांट को दी गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को प्रार्थना पत्र वास्ते अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 21.04.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
21.04.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 08.04.2025 को प्रार्थना पत्र वास्ते अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2014(1) डी0एन0जे0 (राज0) 35,ए0आई0आर0 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 3032 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने समर्थन में 2014 (1) आर0आर0टी0 पेज संख्या 209 के न्यायिक दृष्टांत एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2025 की प्रति पेश की। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अपील संधारण योग्य नहीं हाने से खारिज किये जाने बाबत को निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता (रेस्पोडेन्ट संख्या 01) ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ के द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतानुसार उपरोक्त अपील संधारण योग्य नहीं है। 2014 आर0आर0टी0 पेज संख्या 409 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है की आगामी पेशी तक दिये गये स्थगन आदेश के विरूद्ध अपील संधारण योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की अपील को इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील संधारण योग्य है तथा माननीय राजस्व मण्डल के निगरानी पोषणीय नहीं हैं। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर0बी0जे0 (28) 2021 पेज संख्या 222 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत पर की गई बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान अवलोकन किया बाद अवलोकन हम रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा होते है तथा इस तर्क से सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.01.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील राजस्थान काश्तकारी के अधिनियम 225 के तहत पोषणीय है अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2025 का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पाया की रेस्पोडेन्ट संख्या 01 केवल मात्र वर्तमान खसरा संख्या 1100 व 1103 का 7/24 हिस्से का सह खातेदार है एवं आदेश में वर्णित शेष खसरा नम्बर की आराजी अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसी कोई सीमाज्ञान रिपोर्ट अथवा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है, जिससे यह साबित हो कि वर्तमान अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी खसरा नम्बर 1100 व 1103 के किसी भाग पर काबिज हो या आपस में सीमाओं को लेकर उभयपक्षों में कोई विवाद हो। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 01 ने नक्शे संबंधी भी उज्र प्रस्तुत किये किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई राजस्व दस्तावेज अपने उज्र के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऐसी स्थिति में हमारी राय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 केवल मात्र अपनी खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1100 व 1103 की हद तक ही किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त करनें का अधिकारी है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी के खसरा नम्बर 1111, 1106, 1107, 1108, 1110, 1104, 1105, 1102, 1101, 1112, 1208, 1207 को भी शामिल कर सम्पूर्ण आराजीयात बाबत स्थगन आदेश जारी किया गया है जो प्रथम दृष्टया कानूनन त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है, इस प्रकार उक्त विधिविरूद्ध आदेश के विरूद्ध अपील आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2025 को रेस्पो0 संख्या 01 की खातेदारी के खसरा नम्बर 1100 व 1103 की हद तक यथावत रखते हुए उक्त आदेश में वर्णित शेष खसरा नम्बर 1111, 1106, 1107, 1108, 1110, 1104, 1105, 1102, 1101, 1112, 1208, 1207 जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम दर्ज है के बाबत उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर का आदेश दिनांक 28.01.2025 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेन्ट/ प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 1111, 1106, 1107, 1108, 1110, 1104, 1105, 1102, 1101, 1112, 1208, 1207 के संबंध में यदि किसी प्रकार का राजस्व दस्तावेज पेश किया जाता है तो उस पर भी न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर उनके समक्ष लंबित धारा 212 के प्रार्थना पत्र को उभयपक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर एक माह में अंतिम निस्तारण करें। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश करने हेतु पावंद किया जाता है तथा उभयपक्ष को दिनांक 02.05.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner